यालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

धिकारी :— श्योराम वर्मा (आर.ए.एस.)

ा :— 46/2015

ादि बनाम रतनकुमार आदि

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीएक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी

1. श्री लक्ष्मण चौहान वकील प्रार्थीया की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार बिश्नोई वादी की ओर से
3. श्री पर्वत पूनियां प्रतिवादीगण की ओर से

—: आदेश :— दिनांक:—07-10-2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया बलविन्द्र कौर ने प्रार्थना नियम 10(2)सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनवान के दावा में ख पेश 09.09.15 मुकरर है उक्त दावा में दर्ज भूमि तहसील घड़साना के चक जेएम के प.न. 33/25 मु.न. 31 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.199 है0 अनकमाण्ड प्रतिवादी संख्या 2 डुंगर राम से मुझ प्रार्थीया द्वारा जरिये बैयनाम .15 को खरीद की हुई है इसलिए उक्त दावा में मुझ प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी ा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी ा जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण/ अप्रार्थीगण की ओर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मद संख्या 1 स्वीकार है। मद संख्या 2 अस्वीकार है क्योंकि उक्त गण का पैतृक रकबा है इसलिए बैयनामा दिनांक 21.07.15 प्रारम्भ से ही शुन्य है ा का किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने एवं उक्त वाद में पक्षकार बनने की है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण माया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी सुनी गई। क्ता प्रार्थीया का कथन है कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया ने प्रतिवादी संख्या 2 नामा खरीद की हुई है मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। इसलिए प्रार्थीया आवश्यक पक्षकार है इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी का कथन है कृषि भूमि पैतृक सम्पति है व प्रार्थीया के पक्ष में निस्पादित बैयनामा शुन्य है ा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते प्रार्थीया आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थना

के किला न. 1 ता 25 की 6.199 है0 भूमि प्रार्थीया ने डुंगरराम पुत्र बस्तीराम जो वाद तिवादी संख्या 2 है से खरीद की हुई है। उक्त बैयनामा पंजीकृत दस्तावेज है। विद्वान वादी/अप्रार्थी ने उक्त दस्तावेज को शुन्य दस्तावेज बताया है लेकिन उन्होनें ऐसा ावेज पेश नहीं किया कि उक्त दस्तावेज किसी सिविल न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित गया है। चूकिं विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की इसलिए उक्त कृषि भूमि जिससे संबंधित यह वाद है, का निस्तारण करने से पूर्व में प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रकरण से समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने

—: आदेश :—

लिहाजा प्रार्थीया बलविन्द्र कौर पत्नि नाहर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 1 तहसील घड़साना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी स्वीकार बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया जाता है व प्रकरण के शिर्षक में उसका नाम तिवादी संख्या 5 लाल स्याही से जोड़ा जावे।

आदेश आज दिनांक 07-10-2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में या।

(श्योराम वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
घड़साना

घड़साना (
तहसील
तिवादी
क प्रतिवादी
पृष्ठ संख्
विविध प्रार्थ
1/11